अपील

भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है अर्थात संविधान में हिंदी को शासन की भाषा बनाया गया। इसका अभिप्राय यह है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्यालय का कार्य हिंदी में किया जाए। संविधान निर्माण के पश्चात वर्ष **1963** में राजभाषा अधिनियम और वर्ष **1976** में राजभाषा नियम बनाए गए ताकि कार्यालयों में तदनुसार हिंदी का प्रयोग एवं प्रचार-प्रसार हो सके।

प्रत्येक वर्ष **14** सितम्बर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है चूँकि इसी दिन वर्ष **1949** में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी कार्यालयों में इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का भी उद्देश्य यही है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़े। संगठन के कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, जिसके लिए आप सभी साधूवाद के पात्र हैं किंतु अभी भी राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना शेष है।

अत: सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए हमारा यह परम कर्त्तव्य भी है कि हम इन संवैधानिक अपेक्षाओं पर खरे उतरें। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन परिवार के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील करता हूँ कि राजभाषा विभाग,गृह मंत्रालय द्वारा इस वर्ष के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में विभिन्न विंदुओं के लिए दर्शाए गए लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करें और हिंदी दिवस के अवसर पर यह संकल्प लें कि कार्यालय-कार्य अधिक से अधिक हिंदी में करेंगें।

दिनांक 14.09.2011

अविनाश दीक्षित

(अविनाश दीक्षित)
आयुक्त